



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2009/भाद्र 9, 1931

No. 487]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2009/BHADRA 9, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 620(अ).—केंद्र सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 28 जून, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (6) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(6) श्रीमती रेणुका कुमार, —सदस्य”
संयुक्त सचिव,
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर. पी. रोड,
नई दिल्ली-110001

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 1/22/2006-आईजीसी/पीआई]

अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2009

G.S.R. 620(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby further makes the following amendments in the Notification of the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 448(E) dated 28th June, 2007.

2. In the said notification, for Serial No. (6) and entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(6) Smt. Renuka Kumar, —Member”
Joint Secretary,
Ministry of Corporate Affairs,
'A' Wing, Shastri Bhawan,
Dr. R. P. Road,
New Delhi-110001

3. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/22/2006-IGC/PI]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.